514-45
15/7/11

(153)

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कमांक/बैठक/2011/DC(E)1801-II/11/514-45 दिनांक :: 15/7 ~~जून~~, 2011

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 23 जून, 2011 को सांय 5.00 बजे श्री रमेश के. जैन, संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 10 मई, 2011 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 10 मई, 2011 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण के समक्ष गत बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 10 मई, 2011 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी तथा गत बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना का विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: विवेक विहार योजनान्तर्गत मुआवजाधारियों को भूखण्ड आवंटन की प्रकिया के संबंध में चर्चा।

1– किसान संघर्ष समिति सांगरिया – कुडी भगतासनी द्वारा नगरीय विकास विभाग की कार्यवाही विवरण कमांक 6 (40) नविवि/3/96 दिनांक 4 फरवरी, 2011 के बिन्दु संख्या–1 में मुआवजे धारकों को देय विकसित आवासीय भूमि 40 फीट चौड़ाई तक की सड़क पर देने के निर्देशों को परिवर्तित कर उक्त शर्त हटाने की मांग की है। अतः प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को उक्त शर्त हटाये जाने हेतु निवेदन किया जावे।

2– किसान संघर्ष समिति सांगरिया–कुडी भगतासनी द्वारा नगरीय विकास विभाग की कार्यवाही विवरण कमांक 6 (40) नविवि/3/96 दिनांक 4 फरवरी, 2011 के बिन्दु संख्या 6 में जिन मामलों में अवार्ड धारकों एवं हस्तान्तरिती के विवाद /असहमति है, उन प्रकरणों में देय नकद मुआवजे को माननीय न्यायालय में जमा करवाया जावे अथवा मुआवजे में देय विकसित भूमि आरक्षित रखी जावे, संबंध में निर्देश हटाने की मांग की है। अतः प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 अन्तिम है। अतः अवार्ड में दर्ज अवार्डी को आरक्षण पत्र जारी किया जावे। यदि हस्तान्तरित अवार्ड की भूमि के आवंटन से पूर्व अवार्डी की सहमति से पंजीयन विभाग से पूर्ण मुद्रांकित एग्रीमेंट टू सैल प्रस्तुत करता है तो मुआवजा हस्तान्तरिती को दिया जा सकेगा। विवाद की स्थिति में व्यक्ति सक्षम न्यायालय से स्वयं के स्तर पर अनुतोष पाने के लिए स्वतंत्र होगा।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

3— राज्य सरकार के पत्र कमांक 6 (40) नविवि/3/96 दिनांक 20 मई, 2010 के बिन्दु संख्या 2 में रूपान्तरित भूखण्डों के बदले विकसित भूमि देने के मामले में आरक्षित दर की 25 प्रतिशत एवं गैर रूपान्तरित मामले में आरक्षित दर की 75 प्रतिशत राशि जमा कराने के निर्देश है। इस संबंध में मुआवजे धारकों द्वारा उक्त राशि किश्तों में जमा कराने की मांग की है। अतः प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि इस प्रकार किश्तें करने का नियमों में प्रावधान नहीं हैं, अतः निदेशक—वित्त मुआवजाधारियों को बैंक से ऋण दिलाये जाने के लिए त्रिपक्षिय समझौता करने एवं आसान शर्तों पर ऋण दिलाने की कार्यवाही करेंगे।

4— सेक्टर ए में देवेन्द्र विहार को देय विकसित भूमि जैसलमेर बाईपास से लगते कॉर्नर भूखण्ड को आवंटित करने की मांग की है। अतः प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि देवेन्द्र विहार धार्मिक एवं पुण्यार्थ ट्रस्ट की सम्पत्ति है जो जैन मुनियों के अस्थायी निवास के लिए उपयोग में आ रहा है। अतः उक्त ट्रस्ट को इसी सेक्टर में समान आकार का भूखण्ड इस प्रयोजनार्थ चिन्हित ओ.सी.एफ. भूमि में से दिया जावे। संबंधित ट्रस्ट उक्त अनुसार आवंटित भूमि का स्वरूप यथावत् रखेगा और अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करेगा।

प्रस्ताव संख्या 3 :: श्री राजेश कुमार मीणा को अवमानना प्रकरण के मद्देनजर अन्यत्र भूखण्ड आवंटन

श्री राजेश कुमार मीणा द्वारा दन्तोपथ ठेंगडी नगर में भूखण्ड आवंटन हेतु फॉर्म संख्या 2534 द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन किया था। जिसकी लॉटरी दिनांक 26 जुलाई, 2008 को की गयी थी। आवेदक द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवेदन किया था। किन्तु प्रार्थी का आवेदन सामान्य श्रेणी में डाले जाने के कारण आवेदक को अनुसूचित जनजाति वर्ग से भूखण्ड आवंटन नहीं हुआ।

आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता मंच, जोधपुर में प्रकरण संख्या 361/2009 दायर किया गया। जिला उपभोक्ता मंच, जोधपुर द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2011 को निर्णय पारित कर निर्णय पारित किया कि, "..........दन्तोपथ ठेंगडी नगर योजना के एस.टी. वर्ग में 39 गुणा 69 फीट का एक भूखण्ड देवे। अगर उक्त योजनान्तर्गत भूखण्ड खाली नहीं हो या किसी भी सूरत में भूखण्ड दे पाना संभव न हो तो विकास प्राधिकरण जोधपुर के अन्तर्गत किसी दूसरी जगह उसी माप का उसी किमत कोई दूसरा भूखण्ड परिवादी को दें साथ ही 5000/— रूपये शारीरिक एवं मानसिक पीडा पेटे तथा 2000 रूपये अधिवक्ता व्यय कुल 7000/— रूपये परिवादी को अप्रार्थी द्वारा भुगतान करेंगे। उपरोक्त आदेश की पालना एक माह के भीतर भीतर की जावे........"

जिला उपभोक्ता मंच के आदेश दिनांक 15 फरवरी, 2011 की पालना में श्री राजेश कुमार मीणा को भूखण्ड नहीं दिये जाने के कारण श्री राजेश कुमार मीणा द्वारा जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच, जोधपुर में अवमानना याचिका प्रस्तुत की है।

अतः श्री राजेश कुमार मीणा को माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना व प्रार्थी द्वारा अवमानना याचिका प्रस्तुत करने के कम में भूखण्ड आवंटन किये जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(155)

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से श्री राजेश कुमार मीणा को समान मूल्य का समकक्ष भूखण्ड आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: संशोधित बजट पर विचार विमर्श।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वीकृत बजट वर्ष 2011–12 में विभिन्न कार्यों हेतु बजट का प्रावधान किया गया है लेकिन इसमें प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का उल्लेख नहीं किया गया है।

कुछ बड़े एवं दीर्घकालीन विकास कार्य जो अगले वित्तीय वर्ष 2012–13 में पूर्ण होंगे लेकिन कार्यादेश संपूर्ण राशि के वित्तीय वर्ष 2011–12 में ही जारी होंगे। अतः यह उचित रहेगा कि बजट वर्ष 2011–12 में संशोधन संपूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का कार्यवार विवरण अंकित किया जाना प्रस्तावित किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया तथा निदेशक–वित्त को निर्देश दिये कि प्रस्ताव अनुसार बडे व दीर्घकालीन विकास कार्यो की कुल राशि दर्शाते हुए बजटं की प्रति प्रस्तुत करें तथा अध्यक्ष महोदय से हस्ताक्षर करावें।

प्रस्ताव संख्या 5 :: स्वीकृत मुख्य सडक मार्गो की चौडाईकरण एवं रेलवे ओवरब्रिज/ अण्डरपास के निर्माण में आने वाली निजी भूमियों के अधिग्रहण समझौते/विनिमय किये जाने के संबंध में चर्चा

प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित सड़क मार्गों की चौडाईकरण एवं रेलवे ओवरब्रिज/ अण्डरपास के निर्माण के कार्य करवाये जाने की कार्यवाही की जा रही हैः–

सडकः–

क्र.स.	सड़क का विवरण
1.	A–बासनी पुल से अणदाराम परिहार स्कुल तक वाया एम्स, पाल रोड़ 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य। B– अणदाराम परिहार स्कुल से चौपासनी रोड़ तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य।
2.	सरदारपुरा डी रोड़ को 4 लेन सड़क निर्माण कार्य।
3.	डी.आर.एम ऑफिस से गोल बिल्डिंग चौराहा वाया नेहरू पार्क को 4 लेन सड़क निर्माण
4.	रोटरी चौराहा द्वितीय से शास्त्री सर्किल –आई.टी.आई. चौराहा तक 4 लेन सड़क निर्माण।
5.	ई.एस.आई. हॉस्पिटल (कमला नेहरू नगर) रोड़ 4 लेन सड़क निर्माण।
6.	कमला नेहरू नगर एवं चांदना भाखर के मध्य की सड़क को 4 लेन सड़क निर्माण।
7.	घड़ी तिराहा से सालासर हैण्डलुम तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य।
8.	अणदाराम स्कूल से डाली बाई मदिर होते हुए राजीव गांधी नगर तक 4 लेन

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

156

	सडक निर्माण।
9.	आखलिया चौराहे से चौपासनी हाउसिंग बोर्ड होते हुए जैसलमेर बाईपास तक 4 लेन सडक का निर्माण कार्य ।
10.	पावटा से मण्डोर तक सड़क का सौन्दर्यकरण का कार्य
11.	भदवासिया रेल्वे क्रॉसिंग से सारण नगर रेल्वे क्रॉसिंग माता का थान तक 4 लेन सड़क मय डिवाईडर इत्यादि का निर्माण कार्य।
12.	रॉटेरी चौराहे से न्यू पावर हाऊस तक सड़क का सौन्दर्यकरण, सुदृढ़ीकररण एवं अन्य विकास कार्य।
13	सरदारपुरा 7 वी रोड़ एवं 5 वी रोड़ चौराहा से सिवांची गेट तक 4 लेन सड़क निर्माण ।
14	बाबा रामदेव रोड़ मसुरिया के सौन्दर्यकरण एवं 4 लेन सड़क निर्माण
15	पावटा चौराहा से कालटेक्स वाया नैनीबाई का मन्दिर–स्टेडियम तक 3/4 लेन सड़क निर्माण।
16	संपर्क सड़क के एन मुखर्जी मार्ग (रिक्तियां भैरूजी)से सब्जी मण्डी रातानाड़ा वाया पी.डब्ल्यू.डी. चौराहा–सैनापति भवन चौराहा 4 लेन सड़क निर्माण।
17	माइक्रोसरफेसिंग द्वारा विभिन्न डामर सड़कों के नवीनीकरण का कार्य
18	पाल लिंक रोड के सौन्दर्यकरण एवं ड्रेनेज का कार्य।
19	विवेक विहार योजना में द्वितीय चरण के तहत् डब्ल्यूबीएम सडको का निर्माण कार्य।
20	सरदारपुरा सी रोड़ को 4 लेन सड़क निर्माण कार्य।

रेलवे ओवरब्रिज/अण्डरपासः–

1. पावटा बी रोड़ (लेवल क्रासिंग सी–2)
2. माणकलाव (लेवल क्रासिंग सी–18)
3. आर.टी.ओ. ऑफिस रोड़ से (लेवल क्रोसिंग सी–168)
4. सारण नगर रेल्वे फाटक (लेवल क्रोसिंग सी–165)
5. बनाड़ से जाजीवाल रोड़ (लेवल क्रोसिंग सी–160)
6. खतरनाक पुलिया प्रथम डी.आर.एम. कार्यालय के पास (सी–71)

उपरोक्त सडकों के चौडाईकरण एवं आर.ओ.बी./आर.यू.बी. निर्माण हेतु आ रही भूमियों के अधिग्रहण की कार्यवाही किये जाने में लम्बी समयावधि लग सकती है। प्राधिकरण अधिनियम की धारा 45 से 48 में यह प्रावधान है कि ऐसी भूमियां आपसी समझौते से भी अधिग्रहित की जा सकती है।

अतः उपरोक्त सडकों के चौडाईकरण व आर.ओ.बी./आर.यू.बी. निर्माण में आने वाली भूमियों के आपसी समझौते से अधिग्रहण की कार्यवाही करने के लिए आयुक्त, सचिव, निदेशक–अभियांत्रिक, निदेशक–विधि एवं संबंधित उपायुक्त की समिति का गठन प्रस्तावित है। उक्त समिति को आपसी समझौते से भूमि अधिग्रहण करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाना प्रस्तावित किया गया।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में कराये जाने वाले विकास कार्यों एवं योजना के कियान्वयन के लिए आपसी समझौते से भूमि क्रय एवं अधिग्रहण किये जाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अनुसार

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

प्रकिया अपनायी जावे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि 2.00 करोड़ रूपये की राशि तक के मुआवजे के प्रकरणों में निर्णय लेने के लिए आयुक्त, सचिव, निदेशक, अभियांत्रिक, निदेशक–आयोजना, निदेशक–वित्त, निदेशक–विधि एवं संबंधित उपायुक्त की समिति अधिकृत होगी। 2.00 करोड़ रूपये की राशि से अधिक राशि के मामलों में समिति के निर्णय के पश्चात् अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जावे। ऐसे सभी प्रकरण में पश्चात्वर्ती प्राधिकरण की बैठक में रखा जाकर अनुमोदन प्राप्त किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: समाचार–पत्रों की विज्ञापन दरों के संबंध में

राजस्थान विज्ञापन नियम–2001 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार विभिन्न राजकीय विभागों के विज्ञापन डी.आई.पी.आर / डी.ए.वी.पी दर पर दिये जाने की व्यवस्था है किन्तु विभिन्न निगमों, बोर्डो कम्पनियों एवं अन्य स्वायतशाषी संस्थानों के विज्ञापन समाचार पत्रों को वाणिज्यिक दर पर जारी किए जाते है। वाणिज्यिक दर डी.पी.आर. / डी.ए.वी.पी. दर से कई गुणा अधिक है।

नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा डी.आई.पी.आर / डी,ए,वी,पी, दर पर ही विज्ञापनों का भुगतान किया जाता था परन्तु जैसे ही जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का गठन किया गया कई समाचार पत्रों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की तरह ही वाणिज्यिक दरों पर विज्ञापनों का भुगतान करने की मॉग की है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के परिपत्र कमांक 1743–1832 जयपुर, दिनांक 7.10.2009 द्वारा स्पष्ट है कि "वाणिज्यिक दरें डी.आई.पी.आर / डी.ए.वी.पी दरों से कई गुना अधिक होने के कारण प्राधिकरण पर अत्यधिक वित्तिय भार आ सकता है। अतः जब विभिन्न बोर्डो, निगमों, कम्पनियो एवं स्वायत्तशासी संस्थानों को वाणिज्यिक दरों की अविलम्ब समीक्षा करने एवं भविष्य में मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए तर्क सम्मत एवं उचित वाणिज्यिक दरे निर्धारित करने की नीति बनाने के निर्देश है तो प्राधिकरण को प्रारम्भ से ही एक मितव्ययता पूर्ण नीति बनाना उचित है।"

राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के निदेशक ने अपने पत्र कमांक नि.सं / निदे / 2009 / 594 दिनांक 8 जुलाई, 2009 के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि राजस्थान विज्ञापन नियम, 2001 के प्रावधान केवल राजकीय विज्ञापनों में लागू होते हैं। इन नियमों में सरकारी विज्ञापन डी.ए.वी.पी. / डी.आई.पी.आर. पर जारी किये जाने का प्रावधान हैं, विकास–प्राधिकरण अथवा अन्य स्वायतशासी संस्थाओं के विज्ञापनों के लिए इन नियमों में प्रावधान नहीं है। निदेशक ने इस परिप्रेक्ष्य में समाचार पत्रों को विज्ञापन प्रकाशन एवं दी जाने वाली दरों के संबंध में प्राधिकरण स्तर पर ही निर्णय करने हेतु लिखा है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण हेतु विज्ञापन–नीति बनाने के लिए गठित समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोपुर द्वारा समाचार पत्रों को भुगतान डी.ए.वी.पी. / डी.आई.वी.पी.आर दरों पर ही किया जावे।" किन्तु कई समाचार पत्रों द्वारा निरन्तर वाणिज्यिक दरों की मांग की जा रही है साथ ही कई समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों का विपत्र वाणिज्यिक दर से भिजवाया जा रहा है। फिलहाल प्राधिकरण द्वारा प्राप्त विपत्रों का निस्तारण डी.ए.वी.पी. / डी.आई.पी.आर. दर पर किया जा रहा है परन्तु इससे कई समाचार पत्रों में भारी असन्तोष है व वाणिज्यिक दरों पर भुगतान हेतु बार बार सम्पर्क किया जा रहा है।

वाणिज्यिक दरों पर भुगतान के संबंध में राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के संयुक्त निदेशक (पंजीयन) का पत्र कमांक 1771 जयपुर दिनांक

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

514-45 (161)
15/7/2011

बैठक में निदेशक–अभियांत्रिक की टिप्पणी पर विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में स्वीकृत रिक्त पदों पर पदस्थापन करने हेतु सक्षम स्तर पर निवेदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: होर्डिंग्स एवं साईनेज लगाये जाने के संबंध में।

बैठक में जिला कलक्टर, जोधपुर ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में होर्डिंग्स व साईनेज लगाये जाने के संबंध में नीति बनायी जानी चाहिए और प्राधिकरण क्षेत्र में विज्ञापन के लिए केवल यूनिपोल व गैण्ट्रीज ही लगाये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से इस उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को सैद्धान्तिक सहमति प्रकट करते हुए विस्तृत नीति व निर्देश तैयार करने के लिए निदेशक–आयोजना को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2011 / DC(E)1801-II / 514-45 15/7/11 दिनांक :: 15/7/2011

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
2– निजी सहायक (अध्यक्ष महोदय) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3– जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, जोधपुर
4– महापौर महोदया, नगर निगम, जोधपुर
5– जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
6– जिला पुलिस अधीक्षक (शहर) महोदय, जोधपुर
7– आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8– शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
9– उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड, जोधपुर
10– अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
11– अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
12– मुख्य प्रबन्धक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
13– वरिष्ठ नगर नियोजक / उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
14– --

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

आरक्षित दर तत्कालीन समय की अथवा वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आंवटन किया जावें अथवा नहीं। प्रकरण बैठक में प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि सरस्वती नगर योजना नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की जा चुकी है। अतः न्यास बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2000 के प्रस्ताव अनुसार अब 11 वर्ष बाद सरस्वती नगर योजना के सेक्टर सी में भूखण्ड संख्या ए–235 का आवंटन किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को मुआवजा राशि एवं उस पर प्रथम वर्ष के लिए 9 प्रतिशत ब्याज एवं आगामी वर्षों के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतान किया जावे (नियमानुसार)।

प्रस्ताव संख्या 9 :: श्री अल्लाह नूर को नई सडक की अवाप्ति में आयी दुकाने के बदले में भूखण्ड आवंटन बाबत।

प्रार्थी श्री अल्लानूर को ओ.बी.सी.टी. स्थित घण्टाघर नई सडक से हटायी गयी दुकान के एवज में तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर के पत्रांक एफ. 44/आवंटन/ 273 दिनांक 21 फरवरी, 1976 द्वारा दुकान संख्या 195 स्टेडियम शोपिंग सेंटर में आवंटन–पत्र जारी किया गया। जिसके तहत कीमत राशि रूपये 8200/– जमा कराना अनिवार्य था।

एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 678/75 श्री जेठमल बनाम स्टेट एण्ड अदर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार प्रार्थी द्वारा दुकान संख्या 124 जिसका क्षेत्रफल 230 वर्ग फीट 5/– रूपये प्रति वर्ग फीट से राशि जमा कराने का अनुरोध किया जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 7 जुलाई, 1975 को रिट याचिका को खारिज किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का परीक्षण निदेशक–विधि द्वारा करवाया जाना है।

प्रार्थी द्वारा तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा आवंटित दुकान संख्या 195 स्टेडियम शोपिंग सेंटर योजना की लीज डीड/सैल डीड तैयार करने का अनुरोध किया है किन्तु मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण आवंटित दुकान की लीज डीड/ सैल डीड जारी नहीं हो सकी है।

अतः डुप्लीकेट पत्रावली खोलकर प्रार्थी को लीज डीड/सैल डीड जारी किये जाने के संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए डुप्लीकेट पत्रावली संधारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: स्वीकृत पद पर पदस्थापन किये जाने के संबंध में।

बैठक में निदेशक–अभियांत्रिक ने कार्यालय टिप्पणी प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्राधिकरण में स्वीकृत पदों के विरूद्ध काफी पद (तकनीकी पद) रिक्त होने की वजह से उन्हें कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है। उक्त कार्यालय टिप्पणी की छाया प्रति इस कार्यवाही विवरण का परिशिष्ट–2 है।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

दिया कि चूंकि उक्त भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत आने के कारण इसे खुला क्षेत्र (Non construction) रखा जाता है तो उसे योजना के अन्तर्गत भू-भाग माना जाय। उसकी गणना सुविधा क्षेत्र में कर संशोधित मानचित्र दिनांक 3 दिसम्बर, 2010 को अनुमोदित किया गया है। इसी प्रकार यदि राष्ट्रीय उच्च मार्ग के आसपास की भूमि को खुला क्षेत्र रखा जाने की बाध्यता है। लेकिन चूंकि उक्त भूमि का स्वामित्व खातेदार का ही है, अतः, इसी तर्ज पर भविष्य में इस प्रकार की खुली भूमि को योजना के अन्तर्गत माना जाय। लेकिन इस विशेष प्रकरण में Air Force विभाग से आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः जब तक उसका समाधान नहीं होता, तब तक निर्णय स्थगित रखा जाय।

अध्यक्ष महोदय ने यह मत व्यक्त किया कि किसी भी प्रकरण में बिना किसी ठोस कारण के पत्रावली में विपरीत टिप्पणी करना उचित नहीं हैं, जिससे प्रार्थी को प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

प्रस्ताव संख्या 8 :: श्री फारूख गोरी को नई सडक की अवाप्ति में आयी भूमि के बदले भूखण्ड संख्या 235 सेक्टर ए सरस्वती नगर में तत्समय की प्रचलित आरक्षित दर पर आवंटन के संबंध में।

श्री अब्दुल जलील का मकान नई सडक ओबीसिटी में था जिसका तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा नई सडक निकालने हेतु उपरोक्त भूमि को अवाप्त किया गया था अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा भी दिया गया था कुछ प्रकरणों में मुआवजा प्रार्थी द्वारा नहीं लेने की स्थिति में प्रार्थी को तत्कालीन समय में भूखण्ड आंवटन करने का निर्णय तत्कालीन न्यास बैठक दिनांक 30.06.1999 प्रस्ताव सं. 26(7) में निर्णय लिया। श्री अब्दुल जलील की अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे के तहत आंवटन करने का निर्णय लिया।

तत्कालीन न्यास बैठक दिनांक 15.09.2000 के प्रस्ताव सं. 2 में निर्णय लिया कि उक्त प्रकरण में सचिव न्यास, अधिषण अभियन्ता व सहायक विधि परामर्शी की एक समिति का गठन कर इस समिति को अधिकृत किया जाता है, अब्दुल जलील के वारिसान को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर भूखण्ड सं. ए-235, सेक्टर-सी, सरस्वती नगर क्षेत्रफल 194.82 वर्ग मीटर को वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आंवटन करने की पेशकश(ऑफर) दी जायें। वर्तमान आवासीय आरक्षित दर के हिसाब से देय राशि में से स्व. श्री अब्दुल जलील को देय मुआवजा राशि मय नियमानुसार ब्याज की राशि लौटाने के पश्चात न्यास में जमा कराने का निर्णय लिया।

प्रार्थी को तत्कालीन न्यास का पत्रांक 3302 दिनांक 21.11.2000 को भिजवाया गया कि उपरोक्त वारिसानों को सचिव के कक्ष में उपस्थित होवें तथा भूखण्ड सं. 235 ए सेक्टर सी सरस्वती नगर की आवासीय आरक्षित दर पर लेने का इच्छुक है तो अपनी सहमति कार्यालय में प्रस्तुत करावें।

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त तत्कालीन समय में भूखण्ड आंवटन की सहमति प्रस्तुत नही की गई तथा न ही वारिसान का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.04.2011 को प्रार्थना पत्र के संलग्न वारिसान की फाटो प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 15.09.2000 को न्यास बैठक के निर्णयानुसार उस समय की आवासीय आरक्षित दर पर आंवटन करने की सहमति प्रस्तुत की है। अतः उपरोक्त प्रकरण में प्राधिकरण में रखकर निर्णय लिया जाना है कि उपरोक्त प्रार्थी को आंवटित भूखण्ड की आवासीय

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

158

30.7.2009 प्राधिकरण को प्रेषित करते हुए लिखा है कि "समाचार पत्रों द्वारा विभिन्न स्वायत्तशासी से विज्ञापन प्रकाशन कर वाणिज्यिक दरों पर भुगतान किया जाता है। यह ध्यान में आया कि में आया है कि ये दरें डी.ए.वी.पी./ डी.आई.पी.आर. दरों से कई गुणा अधिक होती है और इनके निर्धारण में एक रूपता वाला सिद्धान्त भी नहीं है। वाणिज्यिक दरों पर भुगतान से राज्य कोष पर अधिक व्यय भार आता है, जो जनहित में नहीं हैं। अतः वाणिज्यिक दरों के निर्धारण का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है। प्रथमतः इसे तीन गुना से अधिक न किये जाने पर विचार किया जा रहा है। कृपया इस संबंध में अपना अभिमत एक सप्ताह में इस निदेशालय को भिजवाने का कष्ट करें ताकि प्रकरण पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके।" इसी पत्र के कम में निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान सरकार का एक अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 2600 दिनांक 11 मार्च, 2010 भी प्राप्त हुआ। यह है कि इसी आशय के पत्र के प्रतिउत्तर में जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने अपने पत्र कमांक एफ–2 (69) जविप्रा/ओएसडी/प्रचार/2009/डी–192 दिनांक 27 जुलाई, 2009 के द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थार सरकार के पत्र कमांक 11252 दिनांक 16 जुलाई, 2009 के कम में जवाब दिया था कि श्रीमान् आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण ने जेडीए के विज्ञापन डी.ए.वी.पी. /डी.पी.आर. दरों पर ही किये जाने का अभिमत दिया है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि विभिन्न समाचार–पत्रों द्वारा ली जा रही व्यवसायिक दर की 45 प्रतिशत की सीमा तक भुगतान जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा सकेगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा लिये गये इस निर्णय की पुष्टि राज्य सरकार से करवायी जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 :: पैराडाईज विला निजी आवासीय कॉलोनी के संबंध में विचार विमर्श

प्राधिकरण क्षेत्र में ग्राम भिचडली के खसरा संख्या 4/36 से 4/45 एवं ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/8 कुल रकबा 287 बीघा 16 बिस्वा भूमि के संबंध में पैराडाईज विला नाम आवासीय कॉलोनी के लिए पूर्व में ले–आऊट प्लान दिनांक 6 अप्रैल, 2005 व 2 मार्च, 2006 को स्वीकृत किया गया था। प्रार्थी के पुनः संशोधित मानचित्र पेश करने पर ले–आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 में संशोधित ले–आऊट प्लान अनुमोदित किया गया था। उक्त संशोधित ले–आऊट प्लान के संबंध में आवेदक द्वारा यह आपत्ति पेश की गयी कि एयरफोर्स की सीमा से 100 मीटर तक की दूरी को ले–आऊट प्लान में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि उक्त भूमि भी प्रार्थी के खातेदारी की भूमि हैं एवं उसका धारा 90–बी के तहत आदेश भी पारित हो चुका है। अतः उक्त 100 मीटर की भूमि को सम्मिलित करते हुए पुनः ले–आऊट प्लान अनुमोदित किया जावे। उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र पेश होने पर प्रकरण राज्य सरकार को इस कार्यालय के पत्र कमांक 722 दिनांक 5 जुलाई, 2010 द्वारा भिजवाया गया और यह मार्गदर्शन चाहा गया कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में लॉन के रूप में अंकित भूमि को योजना का भाग माना जावे या नहीं। राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में दिनांक 9 अगस्त, 2010 द्वारा यह निर्देश प्रदान किये गये कि वायुसेना परिसर की सीमा से 100 मीटर में आने वाली भूमि के खातेदारी के संबंध में प्राधिकरण के सक्षम स्तर पर नियमानुसार पुनः विचार करते हुए निर्णय लिया जावे तद्परान्त यदि राज्य सरकार के स्तर पर मार्गदर्शन अपेक्षित हो तो प्राधिकरण की स्पष्ट अनुशंषा सहित प्रकरण भिजवाया जावे।

प्रकरण पुनः ले–आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 3 दिसम्बर, 2010 में रखा गया एवं संशोधित ले–आऊट प्लान पारित किया गया। उक्त संशोधित ले–आऊट प्लान दिनांक 3 दिसम्बर, 2010 में एयरफोर्स की सीमा से 100 मीटर की प्रतिबंधित भूमि को सुविधा क्षेत्र में सम्मिलित इस आधार पर किया गया है। विचार विमर्श के बाद निर्णय

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

162

N:574-45
15/7/11

परिशिष्ट–1

दिनांक 23 जून, 2011 को सांय 5.00 बजे श्री रमेश के. जैन, संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण।

1. श्री सिद्धार्थ महाजन, जिला कलक्टर, जोधपुर
2. श्री रामेश्वर दाधिच, महापौर, नगर निगम, जोधपुर
3. श्रीमती आनन्धी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोाध्पुर
4. श्री के.सी. गोदानी, जोनल चीफ इंजिनियर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
5. श्री टी.सी. छंगाणी, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
6. श्री सी.आर. दीपेन, तकनीकी सहायक उप आवासन आयुक्त–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
7. श्री हरजी लाल अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे:–

1. श्री सी.के. बाफना, निदेशक–अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. श्री अरूण उपाध्याय, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. श्री अमिताभ योगानन्दी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. श्री नन्दलाल, मुख्य विधि सहायक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5. श्री वासुदेव मालावत, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6. श्री एन.के. बंसल, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. श्री चुन्नीलाल सैनी, उपायुक्त–पश्चिम (उपायुक्त–पूर्व का अतिरिक्त कार्यभार)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor